न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 11/2014 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S. No.2014/0009)

वदनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति जाट निवासी सहनावली थाना उद्योग नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 25.9.2013 शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 116/87

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 14.3.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 25.9.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 116/87 डीएम भरतपुर के आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण की कार्यवाही के दौरान कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की ओर से रिपोर्ट कमांक 3899 दिनांक 20.12.2011 इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट बदनसिंह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है इसलिऐ अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई है । जिसके आधार पर तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.9.2013 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्ट द्वारा पालना की जाती रही है। यह कि तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को अनिश्चितकालीन अवधि के लिये निलम्बित कर दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। न ही आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अनुकूल है। शस्त्र अनुज्ञापत्र को अनिश्चितकाल के लिये निलम्बित नहीं किया जा सकता। निलम्बन काल की अवधि अपीलाधीन आदेश में खोलना बेहद आवश्यक है जिसका अपीलाधीन आदेश में अभाव है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा रिपोर्ट में जिस आपराधिक प्रकरण का हवाला दिया गय है उस प्रकरण में दिनांक 11.8.1995 को ही निर्णय हो चुका है बतौर साक्ष्य माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय भरतपुर से जारी दायरा रजिस्टर के क्रम संख्या 386 दिनांक 15.9.1990 पर अंकित अपीलान्ट के खिलाफ दायर/निर्णित मुकदमें का हवाला दिया गया है कि प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें दिनांक 11.8.1995 को प्रकरण वरूये राजीनामा मुलजिमान को वरी किया गया है का स्पष्ट नोट अंकित है। सक्षम अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.8. 1995 में अपीलान्ट को वरी किया जा चुका है उसके बाद अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का कई बार नवीनीकरण भी किया जा चुका है और निरन्तर नवीकृत होता रहा है। इसके अलावा पुलिस थाना उद्योगनगर की रिपोर्ट दिनांक 10.9.2011 में भी अपीलान्ट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र रिन्यु किया जाना उचित माना है। यदि तहत अदालत द्वारा सभी वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करती तो सभी न्यायिक तथ्य उनके समक्ष प्रकट हो जाते किन्तु तहत अदालत ने न तो अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया न ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट एक सामाजिक घर गृहस्थी वाला आदमी है, चरित्र भी पाकसाफ है और पूर्व प्रकरण में भी वरी हो चुका है वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है तो फिर क्यों अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दिया गया है। अपीलाधीन आदेश पूर्व टंकित आदेश पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुये पारित किया गया है जो कतई स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं माना जा सकता और न ही न्याय संगत माना जा सकता है। अपीलान्ट गार्ड की नौकरी करता है जिससे अपीलान्ट के परिवार का भरण पोषण होता है। इसलिऐ अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र की परिवार के भरण पोषण के लिये जरूरत है। बिना किसी आधार के तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पैदा हो गई है। अपीलाधीन आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। जिससे यह साफ है कि अपीलान्ट को न तो सुना गया न ही उसके वहैसियत अनुज्ञापत्रधारी के मापदण्डों का परीक्षण किया गया न ही ऐसी कोई वजह स्पष्ट हो सकी जिससे अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया जा सके। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ अपीलान्ट को इसकी जानकारी ही नहीं थी । दिनांक 13.12.2013 को जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के कार्यालय में सम्पर्क करने पर अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थी ने तत्काल नकल के लिये आवेदन किया । दिनांक 1.1.2014 को नकल मिली तदोपरान्त वकील से सम्पर्क किया व दस्तावेजों की पूर्ति कर यह अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय 25.9.2013 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.9.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। वास्तविकता यह है दौराने शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से नवीनीकरण की जांच कराई गई जांच रिपोर्ट कमांक 3899 दिनांक 20.12.2011 से अगवगत कराया है कि श्री बदनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति जाट निवासी सहनावली पुलिस थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 116/87 डीएम भरतपुर धारित शस्त्र एक बारह बोर गन नम्बर 12617 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण नवीनीकरण नहीं किये जाने की स्पष्ट अनुशंसा की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि थानाधिकारी उद्योग नगर एवं सीओ शहर भरतपुर द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि अपीलान्ट अपने मकान पर मौजूद नहीं मिला एवं तीन चार माह पहले गार्ड की नौकरी करने सूरत चला गया है एवं अपनी बन्दुक को भी साथ ले गया है। अपीलान्ट के खिलाफ मु0नं0 186/90 धारा 147, 232, 504, 379, दर्ज है। चार्जशीट नं0 84 दिनांक 28.4.1990 को किता की जाकर न्यायालय पेश है। इस कारण नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है। चूंकि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एक प्रशासनिक अधिकारी भी है और उन पर जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने का दायित्व भी रहता है। अपीलान्ट के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दायर होना तथा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2015 के आधार पर ही बाद परीक्षण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय संगत है। अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.9.2013 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में यह स्पष्ट जाहिर है कि तहत अदालत ने स्वयं के स्तर पर कोई जांच न करते हुये जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2011 में अंकित अपीलान्ट के खिलाफ दायर मुकदमें को आधार बनाया गया है किन्तु दूसरी ओर अपीलान्ट का यह कहना है कि जिस मुकदमें को अपीलाधीन आदेश में आधार बनाया गया है उस मुकदमें का तो दिनांक 11.8.1995 में ही सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है और उसमें अपीलान्ट को वरी भी किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट का तब से ही अनुज्ञापत्र नियमानुसार निरन्तर नवीनीकरण भी होता रहा है तो फिर अचानक इतने अर्से बाद उस निर्णितशुदा प्रकरण जिसमें अपीलान्ट को वरी भी किया जा चुका है को आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। दौराने अनुज्ञापत्र नवीनीकरण यदि कोई प्रकरण अपीलान्ट के खिलाफ विचाराधीन होता अथवा उसकी चारित्रिक नेकचलनी पर कोई शकशुवा होता तो तहत अदालत पुनः जांच करवाये जाने हेतु सक्षम है। अपीलाधीन आदेश के प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पूर्व टंकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुये जारी किया गया है जो स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने का भी अभाव पाया गया है। यदि तहत अदालत अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देती तो वह अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत रख सकता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

था । यह भी सही है कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन महत्वपूर्ण होता है। किन्तु न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने की ताईद भी करता है। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एक प्रशासनिक अधिकारी भी है और यदि उनको अपीलान्ट की नेकचलनी पर कोई शकशुवा है तो वे नये सिरे से जांच कराकर वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग आर्डर पारित करने हेतु स्वतन्त्र रहते है। अपीलाधीन आदेश में समुचित सुनवाई एवं गुणावगुण का अभाव पाया जाने के कारण हम अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना उचित पाते है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official